(b) what is the increase this year against last year's with special reference to Garhwal region in U.P.?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (CAPT. JAI NARAIN PRASAD NISHAD): (a) A statement showing the allocation of funds in the States duringthe year 1993-94, 1994-95 and 1995-96 under the scheme Modern Forest Fire Control Methods in annexed. (*See* below)

(b) No. funds were allotted to the State Government of Uttar Pradesh during last year and this year under the above scheme.

Statement

Allocation of funds to the States for the years 1993-94, 1994-95 and 1995-96 under the scheme Modern Forest Fire Control Mehtods

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	Name of the State	1993-94	1994-95	1995-96
1.	Andhra Pradesh	2.42	10.00	—
2.	Bihar	—	—	—
3.	Gujarat	8.00	3.40	—
4.	Himachal Pradesh	19.725	12.00	—
5.	Karnataka	13.10	10.36	—
6.	Kerala	8.00	33.56	6.855
7.	Madhya Pradesh	48.44	34.30	—
8.	Maharashtra	13.10	—	—
9.	Orissa	4.00	6.724	—
10	Tamil Nadu	8.00	4.72	—
11	Uttar Pradesh	—	—	—
	Total	123.885	115.864	6.855

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु सरकारी तंत्र की प्रभावकारिता

2049. **श्री अजीत जोगी:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिये सरकारी तंत्र के कार्यकरण को प्रभावी और सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गयी है और उसमें से कितनी धनराशि का वास्तव में उपयोग किया गया;

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय आपदा कोष और राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा आयोग गठित करने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राहत और पुनर्वास संबंधी उपाय करने का दायित्व राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों का है। राहत व पुनर्वास कार्यों को शुरू करने को सुगम बनाने के लिए एक राष्ट्रीय आकसमिक कार्य योजना का प्रतिपादन किया गया है। प्रशासनिक मशीनरी को

प्रभावी तथा उत्तरदायी बनाने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाने वाली अपेक्षित पहल की पहचान आकसमिक कार्य योजना द्वारा की जाती है। इसी तरह राज्य स्तर पर राहत नियमावली प्रतिपादित की गई है।

(ख) नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1993-94 और 1994-95 के प्रत्येक वर्ष के लिए सभी राज्यों के आपदा राहत कोष के लिए 804.00 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई। वर्ष 1995-96 के लिए, 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर आपदा राहत कोष के लिए 1130.26 करोड़ रु० और वर्ष 1994-95 के दौरान 574.00 करोड़ रु० उपयोग की सूचना दी है। राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 1995-96 के खर्च के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

(ग) से (ङ) दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गंभीर किस्म की आपदाओं के आने पर राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय आपदा राहत कोष का गठन किया गया है। 1995-96 से 1999-2000 तक के पांच वर्षों के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अंतर्गत 700.00 करोड़ रु० का आवंटन है। एक राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा आयोग का गठन करना आवश्यक नहीं समझा गया।

Steps to Check Pollution of Sea Water

2050. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether millions of fishermen living on the coast-line are finding it difficult to earn their livelihood due to pollution of sea-water; and

(b) if so, what steps Government propose to take to check the sea water pollution?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (CAPT. JAI NARAIN PRASHAD NISHAD): (a) There is no specific information available regarding the difficulties experienced by the fishermen in earning their livelihood due to pollution of sea water.

(b) Steps taken by the Government to prevent coastal pollution include:

(1) National River Action Plan has been drawn up, which would to a great extent, held in preventing the flow of untreated pollutants in the coastal waters.

(2) The polluting industries and Local Bodies discharging waste water into the sea have been advised by the State Pollution Control Boards of coastal states viz., Gujarat, Karnataka Maharashtra, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Orissa, West Bengal to treat the effluent before discharging into the sea.

(3) Under the Environment (Protection) Act, 1986, rules have been framed for regulation of activities in the coastal areas and declaring coastal stretches as Coastal Regulation Zone.

(4) Periodical monitoring of the critical coastal areas is done by the Department of Ocean Development in collaboration with the Central Pollution Control Board, National Institute of Oceanography and other Research and Development Institutes, under the Coastal Ocean Monitoring and Prediction System (COMAPS) Programmes.

बिहार में केन्द्रीय विद्यालय

2051. **श्री नागमणि:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय बिहार में कुल कितने केन्द्रीय विद्यालय है और वे कहां पर स्थित हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार से अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;